(b) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library See* No. LT-2609/68].

(c) Does not arise.

पौड़ी गढ़वाल में गैंथी छौरा बांध का निर्माण

3836 **श्री शिव चरण लाल** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश के पौड़ी गढ़वाल जिले में 'गैंथी छौरा' बाँध के निर्माण का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है;

(ख) यदि नहीं, तो उक्त बांध का निर्माण कब तक पूरा होने की सम्भावना है;

(ग) इस बाँध से पैदा होने वाली बिजली कहाँ कहाँ दी जायेगी;

(घ) क्या सरकार का विचार यह बिजली देलचौदरी में भी, जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान है, उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) और (ख). पौड़ी गढ़वाल जिले की गैंथी चीरा लघु पन-बिजली स्कीम के जिसकी प्रतिष्ठापित क्षमता 200 किलोवाट है, मार्च, 1969 तक पूरा हो जाने की सम्भावना है । इस स्कीम में बाँध का निर्माण परिकल्पित नहीं है ।

(ग) श्रीनगर, कीर्ति नगर, पौड़ी और देव-प्रयाग ।

(घ) गैंथी चीरा स्कीम से देलचौनरी को बिजली देने का कोई विचार नहीं है ।

(ङ) ऊपर भाग (ग) में बताए गए शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों का विद्युतीकरण आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं पाया गया ।

Loni and Trans-Hindon Area under Ghaziabad Development Scheme

3837. SHRI P. M. SAYEED: Will the Minister of HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are aware that hundreds of people in Delhi, more particularly Central Government employees, have invested their life's saving in purchasing plots in the Loni area and Trans-Hindon area under the Ghaziabad Development Scheme;

(b) whether it is a fact that the dates of original sanction of more than two dozens of these colonies has expired on various dates during the years from 1963 to 1966;

(c) whether the lay-out plans of these colonies have been renewed by the Colonisers and if not, what is the present position; and

(d) whether it is permissible for any plot-holder to build house on his plot of land in such colonies and whether the prescribed authority of the regulated area (Ghaziabad) sanctions the plan of the building ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH, FAMILY PLANNING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY): (a) There are 24 private colonies in the Trans-Hindon area and 16 in Loni area; but the private colonisers have not supplied to the Prescribed Authority, Regulated Area, Ghaziabad, any information regarding the number of persons to whom plots of land have been sold by them.

(b) The colonisers were required to complete the developments in their res-

pective colonies within a period of three years from the date of sanction. The sanction of all these colonies except two expired during the years 1963—1966.

(c) Lay-out plans of the private colonies stand approved. Agreement has now been prescribed for renewal. None of the Colonisers has come up for getting the sanctions of their colonies renewed.

(d) The building plans of the plot-holders can be considerd for sanction provided they have clear title on the plots of land and these fit into the lay-out plan of the colony, and subject to the condition that the plot-holders pay the requisite development charges, wherever recoverable.

चांदी को चोरी छिपे भारत के बाहर ले जाना

3838. **श्री श्रीगोपाल साबू:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में कितनी चाँदी भारत के बाहर चोरी छिपे ले जाते हुए पकड़ी गई;

(ख) यह पकड़ी गई चाँदी किस प्रकार बेची गई और क्या सरकार का विचार इस का निर्यात करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार यह चाँदी देश में बेचने का है ताकि चाँदी का मूल्य कम हो जाये; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये कि चाँदी देश से बाहर चोरी छिपे न ले जाई जाये, सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) पिछले तीन कैलेन्डर वर्षों में सीमा-शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क अधिकारियों द्वारा पकड़ी गई उस चाँदी की कुल मात्रा जिसे देश से बाहर चोरी छिपे ले जाने की कोशिश की गई वर्षवार इस प्रकार है:—

वर्ष	मात्रा
1965	2,322 किलोग्राम
1966	19,263 किलोग्राम
1967	52,935 किलोग्राम

(ख) और (ग). जब्ती के बाद यह चाँदी भारत सरकार की टकसाल में जमा कर दी जाती है। इस चांदी के देश से निर्यात किये जाने विषयक किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) तस्करी आयात-निर्यात को रोकने के लिये, जिसमें देश से बाहर चोरी छिपे भेजी जाने वाली चाँदी भी शामिल है, सरकार द्वारा किये गये महत्वपूर्ण उपायों में से कुछ ये हैं: —

सुव्यवस्थित ढंग से गुप्त सूचना इकट्ठी करना तथा उस सूचना के अनुसार सतत ध्यानपूर्वक काम करते रहना, विश्वस्त मुखबिरों की नियुक्ति करना तथा तस्करों के विभिन्न गिरोहों पर सतर्क नजर रखना, संदिग्ध जलयानों तथा वायुयानों की तलाशी लेना, भू-सीमाओं तथा समुद्री, तटवर्ती और सुगमता से पार कर सकने योग्य क्षेत्रों में गश्त लगाना, उपयुक्त मामलों में विभागीय न्याय-निर्णय की कार्यवाही के अलावा इस्तगासे की कार्यवाही करना। सीमाशुल्क अधिनियम में भी उचित संशोधन किए जा रहे हैं तथा इस आशय का एक विधेयक लोक सभा में पेश कर दिया गया है।

Loss due to Customs Procedures

3839. SHRI BRIJ RAJ SINGH KOTAH: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Indian Institute of Foreign Trade has pointed out certain slow Customs procedures leading to